

कार्यालय उप वनमण्डलाधिकारी भीकनगांव (सामान्य)

तहसील भीकनगांव, जिला खरगोन (म.प्र.) E-mail sdoFTbhikangaon@mp.gov.in

क्रमांक/मा.चि./2022/1179

भीकनगांव, दिनांक 26/09/2022

प्रति,

✓ वन मण्डलाधिकारी

वन मण्डल खरगोन सामान्य

- विषय :- 11 के.व्ही. विद्युत लाईन नरवट रेवडिया फाल्या में विद्युत लाईन का विस्तार कार्य करने की स्वीकृति बाबद्। प्रस्ताव क्रमांक/FP/MP/VELEC/150503/2021 दिनांक 27-12-2021
- संदर्भ :- 1) आपका पत्र क्रमांक/मा.चि./2022/204 खरगोन दिनांक 11.01.2022।
2) वन परिक्षेत्र चिरिया का पत्र क्रमांक/2022/871 चिरिया दिनांक 01.09.2022।

-----0000-----

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के पालन में निवेदन है कि, 11 के.व्ही. विद्युत लाईन नरवट रेवडिया फाल्या में विद्युत लाईन का विस्तार कार्य करने की स्वीकृति बाबद् प्रस्ताव क्रमांक/FP/MP/VELEC/150503/2021 दिनांक 27-12-2021 की जाँच वन परिक्षेत्र अधिकारी चिरिया एवं संबंधित विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ रहकर प्रभावित वनभूमि का मौका स्थल का निरीक्षण दिनांक 20.07.2022 को किया गया। वन परिक्षेत्र अधिकारी, चिरिया के कार्यालयीन पत्र क्रमांक 871 दिनांक 01.09.2022 को अवलोकन करने पर पाया गया कि, 11 के.व्ही. विद्युत लाईन नरवट रेवडिया फाल्या में विद्युत लाईन का विस्तार कार्य में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत प्राप्त प्रस्ताव के अन्तर्गत बीट चिरिया उत्तर के वन व्यवस्थापन केन्द्र काठियाबंदधान में आरक्षित कक्ष क्रमांक 897 में लम्बाई 3300 मीटर एवं चौड़ाई 03 मीटर में कुल वास्तविक रकबा 0.99 हेक्टर वनभूमि प्रभावित होना प्रस्तावित है। जिसका जी.पी.एस.रिडिंग N-21° 35' 04.92" E-75° 54' 33.53" है। प्रस्तावित वनभूमि का मौका स्थल निरीक्षण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत है।

1. प्रस्तावित योजना स्थल के 02 फोटोग्राफ पत्र के साथ पृथक से संलग्न है।
2. योजना से प्रभावित वनभूमि की कक्षवार लम्बाई एवं चौड़ाई की गणना कर पृथक से संलग्न है।
3. प्रस्तावित वनक्षेत्र में वन्य प्राणियों की गणना का विवरण (विगत वन्य प्राणी गणना के अनुसार) वन्य प्राणियों के नाम एवं संख्या सहित पृथक से संलग्न है।
4. ऐतिहासिक/पुरातत्व धरोहर न होने का प्रमाण-पत्र पृथक से संलग्न है।
5. वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन न होने का प्रमाण-पत्र पृथक से संलग्न है।
6. प्रस्तावित योजना के क्रियान्वयन पर औचित्यपूर्ण टीप पृथक से संलग्न है।
7. न्यूनतम उपयोगिता प्रमाण-पत्र पृथक से संलग्न है।
8. पोर्टल पर आनलाईन प्रस्ताव भाग-2 की प्रति में उल्लेखित बिन्दुओं की पूर्ति कर प्रतिवेदन में संलग्न किया गया है।

अतः वन परिक्षेत्र अधिकारी चिरिया से प्राप्त जांच प्रतिवेदन मय दस्तावेज से सहमत होते हुए जाँच प्रतिवेदन अनुशंसा सहित अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

मा.चि.



उप वनमण्डल अधिकारी
भीकनगांव

S.D.O./2021-22/मानचित्र/ Letter 2022/

29/9